न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–90 / 2022

निलम कुमारी वगैरह.....वादीगण

बनाम

रजनीकान्त मिश्रा वगैरह.....प्रतिवादीगण

05.05.25 अभिलेख आज वादीगण की ओर से आदेश 26 नियम 10'ए' के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–30.10.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–10.03.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने अवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद वादपत्र के मद सं0–2 की भूमि के संबंध में स्वामित्व की घोषणा हेतु लाया गया है। वादिनी ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष से दिनांक–11.09.2019 को उचित प्रतिमूल्य देकर वादपत्र के मद सं0–1 की भूमि कय कराने के पश्चात् उक्त भूमि की मापी वादीगण ने दिनांक–27.09.2019 को कराया तो पता चला कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने जो जमीन पर वादीगण को दखल–कब्जा दिया और निबंधित केवाला दिनांक–11.09.2019 के आधार पर पुराना खेसरा सं0–5646 का रकवा एक कट्ठा 17 धूर है। पुराना खेसरा सं0–5644 का रकवा 19 धूर है तथा कुल रकवा दो कट्ठा 16 धूर होता है, लेकिन उक्त विकयविलेख में सिर्फ पुराना खेसरा 5646 ही अंकित है तथा उपरोक्त विकयविलेख में भी दर्शाया गया है कि बिकी वाली भूमि प्रतिवादी सं0–3 को दिनांक–08.07.1991 से प्राप्त है और उक्त विकयविलेख में पुराना खाता 324, खेसरा 5646, 5647 एवं 5644, रकवा एक कट्ठा 7 धूर दर्ज है। प्रतिवदी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष ने संयुक्त होकर अपना प्रतिवादपत्र दाखिल किया है एवं जिसमें कहा गया है कि पुराना खेसरा 5644 का बिकी का कोई बातचत नहीं हुई, यह असत्य है इसलिए न्यायहित में विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति और यथास्थिति जानने हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वैज्ञानिक माप एवं सत्यापन आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा जो भूमि वादिनी सं0–1 को बिकी कर दखल–कब्जा दे दिया है, उक्त भूमि में कौन–कौन खेसरा का कितना–कितना रकवा है। अतः निवेदन है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आदेश देने की कृपा की जाए।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से वादीगण के आवेदन को विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय न बताते हुए एवं साक्ष्य गलत रूप से जुटाने के उद्देश्य से आवेदन को दाखिल करने के कारण खारिज करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक–20.01.2025 को विवाद्यक गठन पश्चात् अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु लंबित है। यहॉ यह उल्लेखिनीय है कि वादी ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा वादिनी सं0–1 के हाथो बिकी करने का निवेदन किया है, जिसके कारण सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्त कराने का निवेदन किया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक एवं आवेदन एवं अभिलेख के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि वादी द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में कोई भी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, केवल मौखिक निवेदन किया गया है जिसके कारण प्रतिवेदित बिन्दु अस्पष्ट एवं भ्रमित करने वाले प्रतीत होता है एवं दस्तावेज दाखिल न करने के कारण उपरोक्त आवेदनांकित खाता खेसरा, एवं रकवा का स्पष्ट किया जाना असम्भव है तथा जिस कारण आवेदन औचित्यहीन, संदेहास्पद एवं पोषाणीय नहीं प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त आवेदन विधिसम्मत एवं पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है तथा वादी को अपने अभिवचन के समर्थन में मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और अभिलेख पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है

वाद दिनांक– 02-06-25 वास्ते करने दाखिल मूल दस्तावेज एवं वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी,